	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	**साधिकार प्रकाशित**	***Published by Authority***

कार्तिक 6, बुधवार, शाके 1942–अक्टूबर 28, 2020
Kartika 6, Wednesday, Saka 1942–October 28, 2020

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 13, 2020

जी.एस.आर.218:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख (13.08.2020) से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 42 का संशोधन:- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 42 में,-

(i) उप-नियम (2) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह ''I" के स्थान पर विराम चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

''परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान बोली प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगी:-

(क) खुली प्रतियोगी बोली, द्वि-प्रक्रमी बोली, दर संविदा या इलैक्ट्रानिक रिवर्स नीलाम के मामले में, बोली के लिए प्रस्तुत उपापन की विषय-वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 1 प्रतिशत या राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में प्रदाय के लिए प्रस्तावित परिमाण का 0.25 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों की दशा में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड के समक्ष लंबित है, बोली के मूल्य का 0.5 प्रतिशत होगी।"

3. नियम 75 का संशोधन:- उक्त नियमों के नियम 75 में:-

(i) उप-नियम (2) में, अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह ''I" के स्थान पर, विराम चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ii) इस प्रकार संशोधित उप-नियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात्:-

'' परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक कालावधि के दौरान कार्य संपादन प्रतिभूति निम्नानुसार ली जायेगीः-

(क) माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम का 2.5 प्रतिशत, या बोली दस्तावेज में यथा विनिर्दिष्टानुसार और संकर्मों के उपापन के मामले में संकर्म आदेश की रकम का 5 प्रतिशत;

(ख) राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में, माल के प्रदाय के लिए आदिष्ट परिमाण की रकम का 5 प्रतिशत; और

(ग) लघु उद्योगों से भिन्न, रूग्ण उद्योगों की दशा में, जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) के समक्ष लंबित हैं, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत; और

(iii) उप-नियम (3) के उप-खण्ड (च) में,-

(i) अंत में आये विद्यमान विराम चिन्ह ''I" के स्थान पर विराम चिन्ह '':'' प्रतिस्थापित किया जायेगा; और

(ii) इस प्रकार संशोधित विद्यमान खण्ड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थातः-

''परन्तु राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (संशोधन) नियम, 2020 के प्रारम्भ की तारीख (13.08.2020) से 31.03.2021 तक की कालावधि के दौरान संकर्मों के उपापन के मामले में, सफल बोली लगाने वाला संविदा करार पर हस्ताक्षर करते समय अपने प्रत्येक चालू और अंतिम बिल में से बिल की रकम के 5 प्रतिशत की दर से कार्य सम्पादन प्रतिभूति की कटौती के लिए विकल्प प्रस्तुत कर सकेगा।''

(क्र. प.2(1)एफडी/जी एण्ड टी-एसपीएफसी/2017,)

राज्यपाल के आदेश से,

टी.रविकान्त,

शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।